O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ....133.....
Date 08 APR 2022
AGM (TR)
SE (O)/SE ....
EE ....
Section....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में अपीलीय अधिकारी
श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)
(अपील प्र.क्र. – 05/2022 दिनांक 11.03.2022)

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –05/2022/ 20 रायपुर, दिनांक 05/04/2022

श्री एन.डब्ल्यू.हेनरी अपीलार्थी
रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–
(दिनांक ....05/31/2022.... को पारित)

अपीलार्थी श्री एन.डब्ल्यू.हेनरी ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, के निर्णय दिनांक 03.02.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :–	अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदोन्नति हेतु बंद लिफाफा को खोले जाने हेतु बनाई गई नस्ती (नोट शीट एवं नोट शीट के साथ संलग्न दस्तावेज) की सम्पूर्ण सत्यापित प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील का कारण :–	जनसूचना अधिकारी ने कंपनी प्रबंधन के निर्णय को अपूर्ण मानते हुए एवं कंपनी के अधिकारियों को Third Party मानकर जानकारी देने से इंकार किया है। उल्लेखनीय है कि जो भी अधिकारी ने टीप लिखी है वे उक्त पद पर पदस्थ किये गये तथा उन्हे उक्त कार्य हेतु कंपनी प्रबंधन द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है वे Third Party के श्रेणी में नहीं आते है। अतः पदोन्नति हेतु बंद लिफाफा को खोले जाने संबंधी की गई प्रकिया की नस्ती की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही
		29.03.2022	अपीलार्थी अनुपस्थित, अगली तिथि 31.03.2022।
		31.03.2022	दोनों पक्ष उपस्थित, सुनवाई सम्पन्न।
(IV)	अपीलार्थी का तर्क :–	चाही गयी जानकारी स्वयं के पदोन्नति हेतु बंद लिफाफा को खोले जाने से संबंधित दस्तावेज है, जो किसी भी दृष्टि से गोपनीय दस्तावेज नहीं है।	
(V)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही के तर्क :–	जनसूचना अधिकारी तथा DPIO द्वारा तर्क दिया कि सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 242 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "**Dr. RK Garg v. Ministry of Home Affairs** के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार "**explained the meaning of the file noting as that part of the file in which an officer records his observations and impressions meant before his immediate superior officers. Especially, when the file, in which the noting,s are contained classified as confidential, entrustment of the file note by a junior officer or a subordinate to the next higher or superior officer assumes the character of an information supplied by a third party (in this case, the officer**	

		writing the note to the next higher officer) उपरोक्त के दृष्टिगत धारा 11 में निहित तथ्यों के अंतर्गत दस्तावेज प्रकट किया जाना संभव नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा वांछित बंद लिफाफा खोले जाने की नस्ती के संबंध में लेख है कि उक्त बंद लिफाफा पर पदोन्नति संबंधी निर्णय (सक्षम अनुमोदनअनुसार) लंबित रखी गई है। अतः अंतिम निर्णय तक सूचना के अधिकार के तहत् उक्त दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। यद्यपि इस संबंध में आपको इस कार्यालय के पत्र कमांक 5494 दिनांक 29.12.2021 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को की विवेचना से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी और **DPIO** द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः न्यायसंगत नहीं है।

इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी जो स्वयं के पदोन्नति हेतु बंद लिफाफा को खोले जाने हेतु बनाई गई एक नस्ती है जिसके प्रकटन से धारा 11 प्रभावित नहीं होता है। अतः जनसूचना अधिकारी का यह कथन कि "**Dr. RK Garg v. Ministry of Home Affairs** के प्रकरण में पारित निर्णय के दृष्टिगत धारा 11 में निहित तथ्यों के अंतर्गत वांछित दस्तावेज प्रकट किया जाना संभव नहीं है यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध–न्यायिक कार्य है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दें।

(4) – उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत तालिका 01 में अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी/दस्तावेज सूचनाधिकार की धारा 11 की उन्मुक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है। अतः अपीलार्थी को चाही गयी निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज 07 दिन के अंदर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदोन्नति हेतु बंद लिफाफा को खोले जाने हेतु बनाई गई नस्ती (नोट शीट एवं नोट शीट के साथ संलग्न दस्तावेज) की सम्पूर्ण सत्यापित प्रति।

तदनुसार दर्ज अपील प्रकरण (पंजी. कमांक 05/2022 दिनांक 11.03.2022) एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

प्रतिलिपि :– (1) जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा0सं0)– तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) श्री एन.डब्ल्यू.हेनरी, अति.मुख्य अभियंता, फ्लेट नं. 5204, शांति रेसीडेंसी, गंगा डायग्नोस्टिक सेंटर के पास, पंचपेड़ी नाका, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0ग0 राज्य, सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर